न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 16 / 2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर पुत्री श्री गुरमुख सिंह पत्नी श्री हर्षपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) हाल निवासी माहणी खेड़ा जिला श्री मुक्तसरसाहिब (पंजाब)

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संदीप कुमार (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 02.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीया के नाम से वाके चक 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधूवाला, भू.अ. नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर, खाता संख्या 39. खाता संख्या पुराना 32 के मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 ता 25, मुरब्बा नं. 42 में किला नं. 1516, 25, मुरब्बा नं. 43 में किला नं. 1 ता 4, 8 ता 12,19 ता 21 कुल रकबा 8.9810 हैक्टेयर रकबा में से 2235/8981 हिस्सा नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी 2073–2076 दर्ज है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। वादीया का विवाह से पूर्व नाम परमजीत कौर था तथा विवाह के उपरान्त वादीया के ससुरालवालों ने वादीया का नाम जगपिन्द्र कौर रख दिया। वादीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र में नाम जगपिन्द्र कौर है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम परमजीत कौर है तमाम दस्तावेजात की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादीया का नाम जगविन्द्र कौर है लेकिन वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में परमजीत कौर दर्ज है। जमाबंदी व पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने के कारण. मिलान नही होने के कारण वादीया भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नही उठा पा रही है । इसलिए वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर करवाना चाहती है। वादीया द्वारा प्रतिवादी को कई बार नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन दिनांक 16.01.2024 को प्रतिवादी द्वारा वादीया को यह हिदायत दी गई कि आप न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लेकर आओ तभी हम राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती करेंगे। यही वाद कारण है।यह कि वाद पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है ।

लिहाजा दावा, वादीया पेश करके अर्ज है कि फरमाया जावे।

(क) वादीया का वाके चक 26 एलएनपी पटवार हल्का लाधूवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर, [illegible] 39, खाता संख्या पुराना 32 के मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 1 ता [illegible] मुरब्बा [illegible] 42 में किला नं. 15, 16, 25, मुरब्बा नं. 43 में किला नं. 1 ता 4, 8 ता [illegible] 19 ता 21 कुल रकबा 8.9810 हैक्टेयर रकबा में से 2235/8981 हिस्सा नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में नाम परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर किया जाकर इसी नाम से खातेदारी दर्ज की जावें ।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 11:14:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान परमजीत कौर बनाम सरकार
वाद मुकदमा नं. 16/2024

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 2002 दिनांक 06.06.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हलका से [illegible]र्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 26 एलएनपी के खाता सं[illegible] पुत्री गुरमखसिंह जाति जटसिख सा. गणेशगढ [illegible] राजस्व रिकार्ड उक्त खाता संख्या 39 तथा 45 में स्थगन/विवाद नहीं है। मु[illegible] हलका पूंछताछ परमजीतकौर को ससुराल में जगपिन्द्रकौर के नाम बुला[illegible] आधार कार्ड में जगपिन्द्रकौर नाम अंकित है। मौके पर मौजूदा लोगो ने बताया कि परमजीतकौर और जगपिन्द्रकौर एक ही महिला के नाम है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 11:14:07 IST
Reason: SelfAttested

वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में करणी सिंह पुत्र गुरमुख सिह जाति जट सिख निवासी 26 एलएनपी, लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076, ग्राम 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 39/32 की प्रति पेश की। वादीया द्वारा स्वयं कमला देवी पत्नी भीमसैन की स्वहस्ताक्षरयुक्त आधार कार्ड की प्रति, वादीया स्वयं का पेन कार्ड प्रमाण पत्र, वादी के नाम राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की स्वहस्ताक्षरयुक्त प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2024 की स्वहस्ताक्षरयुक्त प्रति का अवलोकन किया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवम् तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत 2073–2076 चक 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधूवाला, भू. अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर, खाता संख्या 39/32 के कुल रकबा 8.9810 हैक्टेयर रकबा में से वादीया परमजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह हिस्सा 2235/8981 नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में नाम परमजीत कौर के स्थान पर परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर पुत्री गुरमुख सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 02.07.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)